E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
Impact Factor: RJIF 5.24
IJH 2019; 1(1): 80-82
Received: 18-07-2019
Accepted: 21-08-2019

डॉ. प्रतिभा शर्मा
एसो. प्रोफेसर, इतिहास विभाग, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ. प्रतिभा शर्मा
एसो. प्रोफेसर, इतिहास विभाग, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत

अलाउद्दीन खिलजी एवं शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. प्रतिभा शर्मा

शोध सारांश
प्रस्तुत शोध पत्र मध्यकालीन युग के दो प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी एवं शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। दोनों ही शासक अपने अपने युग के महत्वपूर्ण शासक हैं और दोनों ही प्रमुख सुधारक, नव प्रवर्तक एवं परिवर्तनकारी माने गए हैं। दोनों की तात्कालिक स्थिति समान होने के बावजूद भू राजस्व व्यवस्था में कुछ मूलभूत अंतर दिखाई देते हैं। यद्यपि मध्यकाल में भू राजस्व व्यवस्था में सुधार की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई और इसी तुर्की व्यवस्था को शेरशाह द्वारा भी अपनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था की बरनी बड़ी प्रशंसा करते हैं और उसी के आधार पर आधुनिक इतिहासकार उसे 'ग्रामीण क्रांति' की संज्ञा देते हैं जबकि और अलाउद्दीन की व्यवस्था पूरी तरह से भय और कठोर दंड पर आधारित थी जिसमें कि सानों का पूरी तरह से शोषण था। वहीं शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जो कि सानों के हित पर आधारित थी। शोध पत्र में दोनों शासकों की भू राजस्व व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य, भू राजस्व की दर, भू राजस्व निर्धारण करने के तरीके, कि सानों के हित के लिए कि ए गए कार्य आदि तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन कि या गया है। शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक एवं शोध पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन कि या गया है।

कूट शब्दः- सल्तनत, भू राजस्व, नाप जोख, खराज, खालसा, अक्ता, तकावी ऋण, आर्थिक संसाधन, बिचौलिए।

प्रस्तावना

भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत रहा है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले ही यहां भू राजस्व प्रणाली का पूरी तरह से विकास हो चुका था। प्राचीन ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' भूमि की पैमाइश, खेतों का विभिन्न श्रेणियों में विभाजन, अनाज की दरों के आधार परभू राजस्व निर्धारण करने का विवरण प्रदान करता है। वैदिक काल से 12 वीं शताब्दी तक भारत में भू राजस्व संबंधी नियमों में एकरूपता नहीं थी। इसका प्रमुख कारण राजनैतिक एकता का अभाव, अलग-अलग क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां, स्थानीय आवश्यकताएं, शासकों की व्यक्तिगत रुचि आदि थे। आरंभिक दिल्ली सुल्तानों के लिए एक साथ प्रचलित व्यवस्था को छोड़ पाना मुश्किल था अतः वे अपनी आवश्यकता के अनुरुप कुछ सीमा तक पुरातन व्यवस्था का पालन करते रहे। जियाउद्दीन बरनी से पूर्व के इतिहासकारों ने भू राजस्व से संबंधित ऐसी को ई जानकारी प्रदान नहीं की है जिससे यह ज्ञात हो सके कि सुल्तान क्या व्यवस्था अपनाते थे।अतः प्रमाणो ़के अभाव में हम के वल यह अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्रित व्यवस्था चल रही थी जिसमें भारतीय व इस्लामी परंपराओं का समन्वय था। सुल्तानों के आर्थिक सिद्धान्तों का मुख्य आधार बगदाद के काजी अबू याकूब द्वारा लिखित पुस्तक ' कि ताब -उल -खराज 'में था। इस समय में भूमि कृषि करने के लिए अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध थी परंतु भू राजस्व के दृष्टिको ण से यह चार भागों में विभाजित थी-मदद ए माश अर्थात अनुदान में दी गई भूमि, अक्ता में दी गई भूमि, हिंदू सामंत, अधीनस्थ राजा, राय रायन की भूमि और खालसा भूमि अर्थात राज्य की भूमि। खालसा भूमि पर राज्य का एकमात्र अधिकार रहता था परंतु इस भूमि का क्षेत्रफल अलग-अलग शासकों के समय में उनकी आवश्यकता के अनुरूप बढ़ता और घटता रहा है। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भी खालसा भूमि से प्राप्त खराज अर्थात भू राजस्व होता था। प्रारंभिक तुर्क सुल्तान को ई मौलिक प्रशासनिक ढांचा स्थापित नहीं कर पाए। भू राजस्व की वसूली के लिए वे अभी भी हिंदू सरदारों पर निर्भर थे उनका कि सानों से प्रत्यक्ष को ई संबंध नहीं था। भू राजस्व की दर के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। बरनी द्वारा दिए गए इस विवरण से हम के वल इसका अनुमान लगा सकते हैं"बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को यह सलाह दी थी कि कि सानों से इतना अधिक भूराजस्व न मांगा जाए कि कि सान घोर निर्धनता की स्थिति में आ जाएं एवं इतना कम भी ना लिया जाए कि धन की अधिकता के कारण वे विद्रोही हो जाए।"

दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने भू राजस्व व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। वह जानता था कि जो राज्य उसने प्राप्त कि या है वह सीमित आर्थिक संसाधनों पर नहीं चलाया जा सकता है। तात्कालिक परिस्थितियों में वही शासक सफल हो सकता था जो कि शक्तिशाली प्रशासक और अत्यधिक आर्थिक संसाधनों में वृद्धि कर सकता हो तभी वह

अपने राज्य को सुरक्षित रख सकता है साथ ही साथ अपनी सीमा को बढा सकता है। राज्य में लगातार होते विद्रोह और मंगोलों के आक्रमणों के कारण उसने स्थाई सेना की आवश्यकता थी। स्थाई सेना पर होने वाले आर्थिक व्यय के कारण उसका आय के स्रोतों की ओर ध्यान देना स्वाभाविक था। अतः राज्य की आय के प्रमुख स्रोत भू राजस्व में कुछ सुधारों को उसने लागू कि या ताकि राजको ष को संपन्न कि या जा सके और अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा कि या जा सके। मोरलैंड के विचार से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि "ग्रामीण व्यवस्था में उसने जो परिवर्तन कि ए वह कि सी लोकहित के उद्देश्य से नहीं कि ए अपितु उनके पीछे राजनीतिक और सैनिक कारण थे।"

अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा कार्य खालसा भूमि (राज्य की भूमि) के क्षेत्रफल में वृद्धि कर खराज (भू राजस्व) में बढ़ोतरी करना था। इस कार्य के लिए उसने विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को दी गई मिल्क (स्वामित्व अधिकार), इनाम, वक्फ (धार्मिक दान),इद्ररत (पेंशन) आदि की भूमि जब्त कर ली और उसे खालसा में मिला लिया साथ ही उसने सभी प्रकार के अनुदानो को समाप्त कर दिया।

अलाउद्दीन ने पहली बार भूमि की नाप जोख कराई। जियाउद्दीन बरनी के अनुसार "वा हुकम मसाहत वा वफा ए विशवा" के आधार पर भू राजस्व एकत्र करने के आदेश दिए। सभी छोटे बड़े कृषकों की भूमि को नापे जाने का आदेश दिया गया था परंतु बरनी ही स्पष्ट करते हैं कि के वल दिल्ली के पास के इलाके पालम, रेवाड़ी, अफगानपुर, अमरोहा, बदायूं, को ल, दीपालपुर, लाहौर, समाना, सुनाम, बयाना, झाइन आदि स्थानों परनपाई जुताई की गई। परंतु मोरलैंड का मानना है कि सुदूर प्रांतों को छोड़कर यह व्यवस्था संपूर्ण राज्य में लागू की गई। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कि तने स्थान पर यह व्यवस्था लागू की गई परंतु महत्वपूर्ण यह है कि पहली बार शुरुआत हुई। आय में वृद्धि करने तथा हिंदुओं को विद्रोह करने से रोकने के लिए भू राजस्व की दर में वृद्धि की क्योंकि इसका मानना था कि हिंदुओं पर अत्यधिक धन रहने के कारण वे अपना समय विद्रोह करने में लगाते हैं कृषि व्यवस्था में ज्यादातर हिंदू कि सान ही शामिल थे अतः यह भू राजस्व में वृद्धि कर उन्हें दंड देना चाहता था। भू राजस्व की दर 1/2 अर्थात 50% निर्धारित की गई साथ साढ़े सात प्रतिशत चरागाह कर, साढ़े सात प्रतिशत गृह कर एवं साढ़े सात प्रतिशत पशु कर भी लागू कि या गया। भू राजस्व की वसूली नगद एवं अनाज दोनों ही रूप में की जाती थी। याहिया का मानना है कि " पशुओं को दागा गया साथ ही घरों की गिनती की गई जिससे कि को ई भी कर से मुक्त ना हो सके "। भू राजस्व के आंकलन हेतु वफा ए फरमानी (राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार) और निर्ख -ए-फरमानी (राज्य द्वारा घोषित मूल्य) को आधार बनाया गया। भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े अधिकारी चौधरी, मुकदम, पटवारी आदि सभी की विशेष रियायतों को समाप्त कर दिया तथा उनके पशुओं की संख्या निर्धारित कर दी एवं भू राजस्व देने के लिए विवश कर दिया। इन वंशानुगत अधिकारियों से विशेषाधिकार" कि स्मत -ए- खुती " एवं "हुकूक -ए -खुती"प्राप्त करने का अधिकार भी छीन लिया। यह राज्य की सेवा एवं कि सानों से भू राजस्व वसूली का मिलने वाला अंश या उपहार था। इन बिचौलियों को राज्य की ओर से अब कुछ भी प्राप्त नहीं होता था फिर भी उनसे यह अपेक्षा थी कि वह भू राजस्व प्रबंधन में पूर्व की भांति सहायता करेंगे। अलाउद्दीन द्वारा कि सानों के साथ-साथ अधिकारियों से भी भू राजस्व प्राप्त करने से आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

शेरशाह के शासन प्राप्ति के समय साम्राज्य की स्थिति बदल गई थी। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी।बाबर द्वारा स्थापित मुगल राज्य अभी जड़े जमा रहा था।बाबर के पास संपूर्ण साम्राज्य में एक समान भू राजस्व व्यवस्था स्थापित करने का समय नहीं था अतः उसने अपने अल्पकालिक शासन में इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं कि या। हुमायूं में रचनात्मक गुणों का अभाव था यही कारण था उस अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में कि सी भी प्रकार का कि सी भी क्षेत्र में को ई परिवर्तन नहीं कि या। शेरशाह में प्रशासकीय क्षमता भरपूर थी अतः उसके शासक होते ही परिस्थितियां बदल गई। उसने प्रत्येक क्षेत्र में सुधार प्रारंभ कि ए और इन्हीं सुधारों के कारण उसे नव प्रवर्तक तथा अकबर का पूर्व गामी भी कहा जाता है। शेरशाह मध्यकालीन भारत के महान शासन प्रबंधकों में से एक था उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू कि ए गए भू राजस्व के सुधारों में लोक कल्याण की भावना का समावेश कर उसे एक नई दिशा प्रदान की।भू राजस्व व्यवस्था में उसके द्वारा कि ए गए सुधार संपूर्ण मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

अलाउद्दीन खिलजी के समान शेरशाह द्वारा भी अपने साम्राज्य में भूमि की नाप जोख सन की रस्सी द्वारा कराई गई। परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि यह नाप जोख संपूर्ण राज्य में कराई गई थी अथवा सीमित क्षेत्र में क्योंकि कुछ स्थानों पर पुरानी व्यवस्था यथावत चलती रही। कानूनगो का मानना है कि शेरशाह ने के वल मापन की प्रथा को ही आधार बनाया था और उसे अपने साम्राज्य पर लागू कि या था परंतु अन्य इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है कि यह व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में लागू की गई। नाप जोख के बाद उसने जमीन के नक्शे बनवाए, भूमि का उत्तम, मध्यम, निकृष्ट आधार पर वर्गीकरण कराया। हसन खां के फरमान संख्या 10 से ज्ञात होता है कि उसने कृषि योग्य भूमि और कृषि अयोग्य भूमि(पड़ती) के मापन का कार्य अहमद खां को सौंपा था। उसने यह काम ब्राह्मणों की मदद से पूरा कि या और सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर (खसरा खतौनी) तैयार कि या जिसमें मालिकों के अधिकारों और सारी खेतिहर जमीन के माप और उनकी किस्म लिखी गई। इस आधार पर पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की गई जिसमें सरकार की ओर से एक पट्टा दिया जाता था जिसमें उसकी जमीन का क्षेत्रफल एवं दूसरी बातों का जिक्र रहता था उसके बदले में कि सान राज्य को कबूलियत देता था जिसमें की वह भू राजस्व चुकाने का वादा करता था कि सी भी प्रकार की लाभ हानि होने पर इसे बदलने या छूट देने का प्रावधान नहीं था।यदि कि सान को कि सी भी प्रकार की छूट चाहिए तो वह के वल पट्टे के लिखे जाने के समय पर ही ले सकता था, लिखे जाने के उपरांत को ई संशोधन नहीं कि या जाता था। यह व्यवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह आगे अकबर द्वारा भी लागू की गई।

जहां तक भू राजस्व की दर का संदर्भ है शेरशाह की भू राजस्व की दर अलाउद्दीन खिलजी की तुलना में काफी कम थी। शेरशाह के समय में भू राजस्व ही दर 1/3 से 1/4 के बीच थी। मखजान ए अफगानी एवं कानूनगो के अनुसार यह 1/4 थी जबकि आर पी त्रिपाठी इसे 1/3 मानते हैं। इसके अतिरिक्त जरीवाना (नपाई की फीस) और मुहासिलाना (वसूली भत्ता) ढाई से पांच प्रतिशत होता था, लिया जाता था। अकाल आदि आपदाओं के समय सहायता देने के लिए अन्न के रूप में अनाज कर लिया जाता था जो कि एक बीमा फंड की तरह था यह उपज का ढाई प्रतिशत होता था अलाउद्दीन खिलजी की भूमि कर की दर एवं अन्य कर कि सानों को एवं कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले थे जिनको लंबे समय तक लागू नहीं कि या जा सकता था। अलाउद्दीन की व्यवस्था पूरी तरह से कि सानों के विपरीत थी एवं दूरगामी नहीं थी इसीलिए शेरशाह द्वारा उन्हें लागू नहीं कि या गया।

शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था पूरी तरह से कि सानों के हित में थी उसने कि सानों को खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश निकाले हुए थे।अधिकारियों को विशिष्ट निर्देश थे कि वह लगान निश्चित करते समय उदार रहें। जो अधिकारी कि सानों को सताए उनको दंड दिया जाए। यदि कि सी परिस्थितिवश या प्राकर्तिक आपदा के कारण फसल नष्ट हो जाए तो ऐसी अवस्था में उनको तकावी ऋण प्रदान कि ए जाएं जिससे वह इस आपदा में सुरक्षित रहें और पुनः कृषि प्रारंभ कर सकें। साथ ही सेना को विशिष्ट आदेश दिए गए थे कि वह कि सानों की खड़ी फसल को समाप्त ना करें और यदि कि सी भी कारणवश यह खराब हो जाती है तो उसका हर्जाना उस कि सान को अवश्य दें। शेरशाह द्वारा बनाए गए इन नियमों का विवरण अब्बास खां सरवानी भी देते हैं "उसका विजयी सैनिक दल लोगों की खेती बाड़ी ना उजाड़े और जब वह सेना के साथ स्वयं कूच करता था तो स्वयं भी खेती बाड़ी की हालात देखता जाता था और घुडसवारों को चारों ओर यह देखने के लिए फैला देता था कि सेना के जवान कि सान के खेतों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं, जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता था और फसलों को नुकसान पहुंचाता था उसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाता था।"उसने प्रत्येक कि सान और सरकार के बीच सीधा संबंध स्थापित करने की व्यवस्था की एवं बिचौलिए समाप्त करने का पूरा प्रयास कि या। कि सानों की परेशानियों को न्यूनतम करने के लिए अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने का प्रयास कि या साथ ही उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कि या क्योंकि वह इस बात से भलीभांति

परिचित था कि अधिकारी एक स्थान पर रहने पर अधिक भ्रष्टाचार करते हैं। अगर को ई दोषी पाया जाता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता है।

अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में कि ए गए परिवर्तनों का उद्देश्य पूरी तरह से व्यक्तिगत था ।वह शाही को ष को समृद्ध करना चाहता था, वह साम्राज्य विस्तार करना चाहता था जिसके लिए उसे एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी, वह सैनिकों को वेतन देने के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत चाहता था साथ ही साथ हिंदू कि सानों को दंड देना भी चाहता था। अलाउद्दीन के इन उद्देश्यों में कहीं भी हमें कि सानों की भलाई, उनकी सुरक्षा एवं उनके हित से संबंधित को ई भी कार्य दिखाई नहीं देता है बल्कि उसकी व्यवस्था पूरी तरह से कि सानों के शोषण और भय पर आधारित व्यवस्था थी जिसमें कि वह कि सानों पर अतिरिक्त कर लगाता है, भू राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि करता है दूसरी ओर बाजार नियंत्रण नीति लागू कर हर फसल के दाम तय कर कि सानों के लाभ की गुंजाइश बेहद कम कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी की यह नीति प्रगतिहीन साबित हुई क्योंकि उसने एक समान दर सभी पर लागू की थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों ने सामान्य जनता पर नकारात्मक परिणाम उत्पन्न कि ए उसके भू राजस्व सुधार का लाभ कि सानों को नहीं मिला बल्कि उसके इन कार्यों से कि सानों का कृषि करने के प्रति लगाव कम होने लगा। इसीलिए यह व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही समाप्त हो गई उसके आगे के वंशज विरोध के कारण इस व्यवस्था को लागू नहीं कर पाए। इसके विपरीत यदि हम शेरशाह की व्यवस्था को देखें तो पूरी तरह से कि सानों की भलाई पर आधारित व्यवस्था है एक जनहित कल्याणकारी राज्य का जो उसका प्रयोग था उस पर पूरी तरह से खरी उतरने वाली व्यवस्था है।बाद के शासकों के लिए विशेष रुप से अकबर द्वारा उनको संशोधन के साथ लागू कि या गया ।मोरलैंड उसके शासन की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि शेरशाह के शासन का ऐतिहासिक महत्व उसके आरंभ कि ए गए प्रशासन संबंधी सुधारों के कारण है जिनका लाभ बाद में अकबर ने उठाया।

संदर्भ स्रोत

1. याहिया बिन अहमद-तारीख-ए-मुबारकशाही, अनु. के के बसु, बड़ौदा 1932
2. अमीर खुसरो-खजायन-उल-फुतुह, अनु. वाहिद मिर्जा, लाहौर 1975
3. जियाउद्दीन बरनी -तारीख ए फिरोजशाही, अनु. मोहम्मद हबीब, अलीगढ़, 2005
4. श्रीवास्तव हरिशंकर -मुगल शासन प्रणाली, इलाहाबाद 1978
5. Moreland WH. The Agrarian System of Muslim India, Cambridge, 1929.
6. The Revenue Administration of the United Provinces, Allahabad, 1911.
7. Qureshi IH. The Administration of the Sultanate of Delhi, Lahore, 1944.
8. Lal KS. History of the Khalji's, Allahabad, 1950.
9. Pandey AB. The First Afghan Empire In India, Calcutta, 1956.
10. Tripathi RP. Some Aspects of Muslim Administration, Allahabad, 1956.
11. Rahim MA. History of the Afghans in India, Karachi, 1961.
12. Habib Irfan. Medieval India-1 Researches in the History of India 1200-1750, New Delhi, 1998.
13. The Agrarian System of Mughal India, Oxford, India, 2013.
14. Economic History of India 1206-1526, New Delhi, 2017.
15. Kanoongo KR. Shershah, Calcutta, 1921.
16. Shershah and his Times, Orient longman, 1965.
17. Habib M, Nizami. A Comprehensive History of India Delhi Sultanate New Delhi, 1970, 5.
18. Hasan Sayyid Nurul. Thoughts of Agrarian Relations in Mughal India, New Delhi, 1973.
19. Matta Bashir Ahmed. SherShah: A Fresh Perspective, Oxford Press, New Delhi, 2005.
20. Elliot, Dowson. Tarikh i Shershahi by Abbas Khan Sarwani, Lahore, 2006.
21. Zilli IA. Tarikh-i-FirojShahi, New Delhi 2015.
22. Chitnis KN. Socio Economic History of Medieval India, New Delhi, 2017.